



**UPGK010053112026**

**न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।**

**नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र सं०-2318/2026**

विशाल शर्मा पुत्र अनिल शर्मा, उम्र करीब 25 वर्ष

निवासी-ग्राम पादरी बाजार, विश्वकर्मापुर, थाना शाहपुर, जनपद गोरखपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं०-421/2026,

धारा-178,179,180,181,61(2) भा० न्याय सं०

थाना-गुलरिहा, जनपद-गोरखपुर।

### आदेश

जमानत का यह प्रार्थना पत्र, आवेदक/अभियुक्त विशाल शर्मा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमा अपराध सं०-421/2026, धारा-178,179,180,181,61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना गुलरिहा, जनपद गोरखपुर के प्रकरण में जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. अभियोजन पक्ष के कथनानुसार वादी मुकदमा उ०नि० मदन मोहन मिश्रा द्वारा दिनांक 25.05.2026 को समय करीब 04.09 बजे थाना स्थानीय पर इस आशय की प्र०सू०रि० दर्ज करायी गयी कि आज दिनांक 25.05.2026 को मैं अपने हमराहियान के साथ बकरीद त्योहार के दृष्टिगत देखभाल क्षेत्र, चेंकिंग, पशु तस्कर वाहन में दहला पिकेट में मौजूद था कि चौकी प्रभारी पादरी बाजार, अखण्ड प्रताप सिंह अपने हमराहियान के साथ दहला पिकेट पर उपस्थित आये। बकरीद त्योहार के दृष्टिगत बाहर से आने वाले वाहनों पर व क्षेत्र में हो रही घटनाओं के संबंध में आपस में चर्चा कर रहे थे कि मुखवीर खास उपस्थित आकर बताया कि साहब सरस्वतीपुरम कालोनी पादरी बाजार में स्थित एक शटर की दूकान में कुछ लोग नकली नोट तैयार कर रहे हैं तथा रोज रात को इक्कड़ा होकर नकली नोट तैयार करने का काम करते हैं तथा उसे बाजार में असली नोटों के साथ चला देते हैं। मुखवीर खास की बात पर विश्वास करते हुए आपस में एक दूसरे से उक्त सूचना के विषय में बताते हुए जामा तलाशी लिया गया। जामा तलाशी में किसी भी पुलिसकर्मी के पास से कोई आपत्तिजनक सय नहीं मिला तत्पश्चात मुखवीर खास को साथ लेकर उसके बताये स्थान पर पहुँचा जहाँ उसके द्वारा इशारा कर उक्त दुकान को दिखाया गया, जो आधा खुला हुआ था। तत्पश्चात हम पुलिस वाले उक्त दुकान के पास पहुँचकर आधा खुले शटर को पूरा खोला गया तो दुकान के अन्दर पाँच व्यक्ति मौजूद मिले तथा हम पुलिस वालों को देखकर हड़बड़ा गये। अपना काम छोड़कर एक तरफ खड़े हो गये दुकान के अन्दर मौजूद टेबल पर पाँच सौ के प्रिन्टेड नकली नोट, ए४ साईज पेपर पर दिखाई दिया। उक्त के संबंध में मौजूद लोगों जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा

गया तथा मेज पर पड़े पाँच सौ रुपये नोट के संबंध में कड़ाई से पूछने पर मौजूद सभी व्यक्तियों ने एक स्वर में बताया कि हम लोग बिहार राज्य से सीखकर आये हैं। यहाँ प्रिन्टिंग प्रेस के आड़ में रात के समय हम लोग पाँच सौ रुपये, सौ रुपये व दो सौ रुपये का नकली नोट छापकर मार्केट में असली नोटों के साथ मिलकर चला देते हैं जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। मौके पर प्रिन्टिंग प्रेस की दुकान में हमराहियान व कर्मचारीगण के सहयोग से विधिवत चेंकिंग किया गया तो एक अदद मानिटर सहित अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद हुए। उपरोक्त लोगों द्वारा बताया गया कि साहब अस्थायी रूप से यह जगह बनायी गयी है। यही पर जाली नोट बनाये जाने के सभी उपकरण रखे हैं जिसे आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया है। पकड़े गये उपरोक्त सभी लोगों को उनके कृत्य से अवगत कराते हुए गिरफ्तारी का कारण बताकर गिरफ्तार किया जा रहा है।

3. आवेदक/अभियुक्त के आविद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त को मात्र रंजिशन हैरान व परेशान करने की नीयत से उक्त मामले में फर्जी ढंग से अभियुक्त बना दिया गया है। कथित घटना की प्र०सू०रि० थाना स्थानीय पर काफी विलम्ब से अंकित करायी गयी है और विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण प्र०सू०रि० में अंकित नहीं है। वास्तविकता यह है कि कथित घटना के दो दिन पूर्व दिनांक 23.05.2026 की रात करीब 01:27 ए०एम० पर थाना गुलरिहा की पुलिस व एस०ओ०जी० टीम हम प्रार्थी के घर पर आकर गेट पर लगे काल बेल को बजाई। उक्त काल बेल के खराब होने के कारण आवेदक/अभियुक्त के घर के गेट को स्वयं आवेदक/अभियुक्त के द्वारा ही खोला गया। जिस पर उक्त पुलिस टीम आवेदक/अभियुक्त के घर के अन्दर दाखिल हुई। आवेदक/अभियुक्त के घर पर दिनांक 23.05.2026 को जब थाना गुलरिहा व एस०ओ०जी० टीम आयी तो अपने साथ आवेदक/अभियुक्त के सह अभियुक्त करन सिंह को पुलिस पकड़कर अपने साथ लाई थी जिसे पुलिस वाले पकड़े हुए थे। सी०सी०टी०वी० के फुटेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त करन एक नारंगी रंग का टी-शर्ट पहने हुए था जिसे एक पुलिसकर्मी पकड़े हुए था तथा इस दौरान थानाध्यक्ष गुलरिहा उक्त पुलिस बल व एस०ओ०जी० टीम के साथ स्वयं मौजूद थे। उक्त सी०सी०टी०वी० के अवलोकन से स्पष्ट है कि 3 पुलिस वाले आवेदक/अभियुक्त के घर के गेट पर खड़े हैं तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा घर का गेट खोले जाने के पश्चात उक्त पुलिसकर्मी आवेदक/अभियुक्त के घर के अन्दर से गेट तक ले आए तथा गेट के बाहर तक लाकर गाड़ी चेक करने के पश्चात पुनः घर के अन्दर कपड़े बदलने हेतु ले गए तथा पुनः आवेदक/अभियुक्त को लोवर व मैरून रंग के टी-शर्ट में दिनांक 23. 05.2026 की रात लगभग 01.41 बजे अपने साथ लेकर के चले गए। सी०सी०टी०वी० के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि दिनांक 23.05.2026 की रात थाना गुलरिहा और एस०ओ०जी० की टीम द्वारा आवेदक/अभियुक्त को अपने साथ ले जाते समय उपरोक्त लोगों द्वारा आवेदक/अभियुक्त के घर में लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे के डी०वी०आर०, कम्प्यूटर व प्रिन्टर को भी अपने साथ लेकर चले गये। यद्यपि पुलिस वालों द्वारा आवेदक/अभियुक्त के घर पर लगे सी०सी०टी०वी० के डी०वी०आर०, प्रिन्टर व कम्प्यूटर अपने साथ उठा ले जाया गया, परन्तु आवेदक/अभियुक्त के घर के ठीक सामने श्रीराम मैरेज लान के मालिक श्रीराम सिंह पुत्र हृदय नरायन सिंह के मैरेज हाल पर लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे में उक्त सम्पूर्ण घटना रिकार्ड हो गई जिसके सी०सी०टी०वी० फुटेज का विडियो उपरोक्त श्रीराम सिंह द्वारा अपने डी०वी०आर० से पेन ड्राईव में ट्रांसफर कर आवेदक/अभियुक्त को दी गई है जो मूलरूप से जमानत प्राथना पत्र के साथ संलग्न है। फर्द बरामदगी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित घटना में आवेदक/अभियुक्त के पास से जिन दो नकली नोटों की बरामदगी होना कहा जाता है उन दोनों नोटों के नकली के रूप में पहचान किन तथ्यों के

आधार पर की गई इसके सम्बन्ध में फर्द में किसी तथ्य का उल्लेख नहीं है जो मामले को पूर्णतया सन्देहास्पद बनाता है। कथित घटना में जिन उपकरणों को थाना स्थानीय के पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से बरामद होना कहा जाता है वे तथाकथित नकली नोट छापने के उपकरण आवेदक/अभियुक्त के एक्सक्लूसिव पजेशन से बरामद नहीं हुए हैं इसलिए तथाकथित बरामदगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ग्राह्य नहीं है। जिन तथाकथित नकली नोटों व उपकरण की बरामदगी जिस दुकान से बरामद होना कहा जाता है इस दुकान से आवेदक/अभियुक्त का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। कथित घटना में वादी मुकदमा द्वारा दी गई तहरीरी रिपोर्ट व अभियोजन द्वारा संकलित साक्ष्यों से हम प्रार्थी के विरुद्ध धारा 179 बी०एन०एस० का कोई अपराध गठित नहीं होता है। कथित घटना में आवेदक/अभियुक्त के पास से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है जो भी बरामदगी कही जाती है वह पूर्णतः फर्जी और बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित है। आवेदक/अभियुक्त को मात्र प्रार्थी के विरोधियों के साजिश के चलते उपरोक्त मुकदमें में फर्जी ढंग से अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रार्थी का विगत कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अन्य सह-अभियुक्तों के साथ साजिश करके प्रिन्टिंग प्रेस के माध्यम से पाँच सौ रुपये, सौ रुपये व दो सौ रुपये के नकली नोट छापकर मार्केट में असली नोटों के साथ मिलाकर चलाने का गंभीर अपराध कारित किया गया है। पुलिस द्वारा दौरान गिरफ्तारी अभियुक्त के पास से जाली नोट बरामद किये गये हैं। कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका रही है। तदनुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. मैंने जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. यद्यपि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है। वर्तमान मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य सह-अभियुक्तों के साथ साजिश करके प्रिन्टिंग प्रेस के माध्यम से पाँच सौ रुपये, सौ रुपये व दो सौ रुपये के नकली नोट छापकर मार्केट में असली नोटों के साथ मिलाकर चलाने का गंभीर अभिकथन है। मामले से सम्बन्धित केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि दौरान विवेचना विवेचक ने केस डायरी के पर्चा सं०-2 में ही विवेचक ने वादी मुकदमा उ०नि० मदन मोहन मिश्रा एवं फर्द गवाह अखण्ड प्रताप सिंह के बयान अंकित किये हैं जिन्होंने अपने-अपने बयान में वादी ने कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता के बिन्दु पर विस्तृत कथन किये हैं। मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना अभी प्रचलित है तथा अब तक की गयी विवेचना के अवलोकन से कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्रतीत होती है। इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त को प्रश्नगत घटना में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवम् बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवम् विचारण का विषय है।

7. अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता तथा कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की प्रथम दृष्टया संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

8. तदनुसार आवेदक/अभियुक्त विशाल शर्मा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र सं०-2318/2026 निरस्त किया जाते हैं।

दिनांक: 04.06.2026

(राज कुमार सिंह)  
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।  
**J.O. Code-UP1889**